# All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)



Date: 30-Apr-2020

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org

### **APPROVAL PROCESS 2020-21**

## **Extension of Approval (EoA)**

F.No. Northern/1-7013895564/2020/EOA

The Principal Secretary (Tech. Edu.) Govt. of Uttar pradesh, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, 12A, Navin Bhawan, U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Sir/Madam,

To,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2020 notified by the Council vide notification number F.No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4<sup>th</sup> February 2020 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	nanent ld 1-518894391		1-7013895564	
Name of the Institute	MAHAVEER INSTITUTE OF TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	SHRI MAHAVEER CHARITABLE TRUST	
Institute Address	VILL. SARFUDDEENPUR ABUSA, POST SARAY INYAYAT, TEHSIL FULPUR, ALLAHABAD, ALLAHABAD, Uttar Pradesh, 211405	Society/Trust Address	46 RAJENDRA NAGAR ALLHABAD,ALLAHABAD,ALLAHA BAD,,211003	
Institute Type	Private-Self Financing	Region	Northern	

### To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2020-21

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2019-20	Intake Approved for 2020-21	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	CIVIL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	120	120	NA	No
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	ELECTRICAL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	NA	No

Application No:1-7013895564 ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By: aic004250

ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING (AUTO)	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	NA	No
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING (PROD)	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	120	120	NA	No

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2020-21 (Appendix 6)

# **Important Instructions**

- 1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21
- 2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE.
- 3. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
- 4. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 373/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof.Rajive Kumar Member Secretary, AICTE

### Copy to:

- 1. The Director Of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh
- The Principal / Director, MAHAVEER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
   Vill. Sarfuddeenpur Abusa, Post Saray Inyayat, Tehsil Fulpur, Allahabad, Allahabad, Uttar Pradesh.211405
- The Secretary / Chairman, 46 RAJENDRA NAGAR ALLHABAD ALLAHABAD,ALLAHABAD ,211003

The Regional Officer, All India Council for Technical Education Govt. Polytechnic Campus Adjoining Directorate of Technical Education Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

### 5. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <a href="http://www.aicte-india.org/">http://www.aicte-india.org/</a>

<sup>\*\*</sup> Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

# कार्यालय, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनकः दिनाँकः 15-9-2020

# :-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020—21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14—8—2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020—21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता / पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार / पाठ्यकम / प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020—21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुकम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-2 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यकम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यकम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए०आई०सी०टी०ई द्वारा सत्र 2020—21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यकम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020—21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020—21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुकम में परिषद से सत्र 2020—21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14—08—2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्रo लखनऊ द्वारा सत्र 2020—21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:—

क्र0 संस्था सं0 कोड		, संस्था का नाम	पाठ्यकम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/द्वारा सत्र 2020–21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020–21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	4466	महावीर इंस्टी० ऑफ टेक्नॉालोजी, विलेज—सफ्फरुदिनपुर अबोसा, सराय इनायत, तह0—फूलपुर प्रयागराज।	[ 126] E12	120 60 60 120	120 60 60 120	

# सम्बद्धता हेतु शर्ते

- ४ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० / पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली—2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यकमों हेतु रू० 30,150.00 / प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम हेतु रू०—45,000.00 / प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यकमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम के अतिरिक्त) हेतु रू०—22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र / छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र / छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020—21 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

f-m-

- √ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- √ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की रिधित में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- √ संस्था को समय—समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- √ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० / पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेत् अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि / नियमों / अधिनियमों / शासनादेशों / निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाउयकम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेत् काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- √ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेत् निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्टिभृमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- 🗸 संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- √ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित / संचालित पाठयकम को चलाये जाने हेत् निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यकम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की
- 🗸 सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०के० सिंह) सचिव

प्0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनाँकः 15-09-2020

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य / निदेशक, महावीर इंस्टी० ऑफ् टेक्नॉॉलोजी, विलेज-सफ्फरूदिनपुर अबोसा, सराय इनायत, तह0-फूलपुर प्रयागराज।